

राजस्थान सरकार
राजस्व ग्रूप-६ क्रिमांग

प्र० क्र।-१७१८ राज-६०२/१२

ज्येष्ठ, दिनांक:- १२/७/५

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय:- दूरभाष का टावर उपयोग के प्रयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निकेशानुसार लेख है कि दूरभाष कानियों
द्वारा आतेदारों भूमि में दूरभाष टावर लगाये जा रहे हैं इस संबंध में कुछ जिला
कलेक्टर द्वारा यह मार्गदर्शन वर्ताहो गया है कि इसे वाणिज्यिक प्रयोजन माना जावे
या औद्योगिक प्रयोजन। इस संबंध में स्वष्टि किया जाता है कि दूरभाष कानियों
द्वारा आतेदारों भूमि में टावर लगाने के कार्य को वाणिज्यिक प्रयोजन मानते हुये
अग्रिम कार्यकारी को जावें।

शासन उपराज्यिक
शासन उपराज्यिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आकृयक कार्यकारी हेतु प्रेषित है

१. निबन्धक ; राजस्व बंडल , अमेर।
२. समस्त उपशासन सचिव, राजस्व भाग